

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,  
घोड़ाखाल रोड, भवाली,  
जिला- नैनीताल, पिन- 263132  
निविदा सूचना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के भवाली स्थित परिसर में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यो हेतु पृथक-पृथक निविदाएँ दिनांक 20.01.2012 तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में अकादमी की समिति सदस्यों के समक्ष खोली जायेंगी।

(क) मेस संचालन।

(ख) साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य।

निविदा लिफाफे के ऊपर 'मेस संचालन' अथवा 'साफ-सफाई एवं बागवानी का कार्य' लिखा जाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.12.2011 से दिनांक 20.01.2012 तक अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में ₹ 500/- (वैट सहित) नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं। मेस संचालन हेतु निविदा के साथ ₹ 50,000.00 (पचास हजार) मात्र तथा साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु ₹15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला-नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो लगायी जानी अनिवार्य है। अपूर्ण निविदा पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा के साथ संलग्न शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाय। निविदा का विवरण मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की वेबसाइट <http://highcourtofuttarakhabnd.gov.in> तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (लेखा)

## मेस संचालन कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

### प्रतिबन्ध—

निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी तथा निविदादाता फर्म के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा। निविदा/अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

### शर्तें—

1. निविदादाता/फर्म का अपना पेन (PAN) व आयकर प्रमाण-पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
2. निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
3. रेस्टोरेन्ट व्यवसाय करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत खाद्य एवं पेय लाईसेंस वैध होना चाहिए।
4. अकादमी परिसर धूम्रपान रहित क्षेत्र है। निविदादाता/ फर्म द्वारा नियुक्त व्यक्ति परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. निविदादाता/फर्म को रेस्टोरेन्ट व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव हो तथा 03 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम ₹ 15 लाख हो। निविदादाता/फर्म का स्वयं का रेस्टोरेन्ट प्रतिष्ठान हो।
6. निविदादाता/फर्म को अनुभवी कर्मी— एक मैनेजर, एक कुक, एक मसालची तथा दो वेटर रखने होंगे।
7. मेस संचालन के लिए काकरी/वर्तनों की व्यवस्था निविदादाता/फर्म द्वारा की जायेगी।
8. मेस की भोजन व्यवस्था स्वच्छतापूर्ण एवं गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए।
9. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹ 50,000/—(पचास हजार) मात्र किसी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बंधक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि दिनांक 31.03.2013 के पश्चात कम से कम 2 माह तक की होगी।
10. निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
11. निविदादाता फर्म के कार्मिकों के नाम पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
12. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे कर्मियों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
13. किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार (बिना कारण बताये) अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।
14. नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
15. फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
16. फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगायेगा।
17. कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने पर या तैनात कर्मियों की लापरवाही अथवा विफलता के कारण संस्थान को किसी प्रकार की हानि होन पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।
18. निविदा से स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए प्रभावी होंगी।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल।  
मेस संचालन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 500 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु  
प्रपत्र संख्या.....  
कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम.....
2. फर्म के स्वामी का नाम:.....
3. फर्म का स्थानीय पता.....  
(दूरभाष संख्या सहित).....
4. स्थानीय प्रतिनिधि का नाम.....  
(दूरभाष संख्या सहित).....
5. फर्म का स्थाई पता.....
6. आयकर पंजीकरण एवं पेन (PAN)
7. व्यापार कर.....  
पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण-पत्र.....
8. वार्षिक टर्न ओवर एवं विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण तथा लागत.....  
.....
9. धरोहर धनराशि का विवरण  
(अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....  
(ब) एफ0डी0आर0 संख्या.....  
(स) धनराशि.....
10. शर्तों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाए।
11. संलग्न मेन्यू के अनुसार दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर अंकित की जाय  
.....

संलग्न- 1- नियम एवं शर्तें  
2- मेन्यू

निविदादाता फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर

## साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

### प्रतिबन्ध—

निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी तथा चिन्हित निविदादाता फर्म के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा। निविदा अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

### शर्तें:—

1. निविदादाता/फर्म का अपना पेन (PAN) व आयकर प्रमाण-पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
2. निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
3. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹ 15000/—(पन्द्रह हजार) मात्र किसी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बंधक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि दिनांक 31.03.2013 के पश्चात कम से कम 2 माह तक की होगी।
4. सफाई कार्य हेतु न्यूनतम 06 व्यक्तियों तथा बागवानी कार्य हेतु न्यूनतम 04 व्यक्तियों (जिसमें कम से कम दो दक्ष माली हों) की आवश्यकता है। कार्य के दृष्टिगत कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
5. निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
6. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व अकादमी परिसर एवं भवनों का भली-भाँति निरीक्षण कर लिया जाय।
7. निविदादाता फर्म का दायित्व होगा कि श्रम विभाग के शासनादेश के अनुरूप अनुमन्य सुविधाओं को दिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र ₹ 10/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता फर्म को श्रमिकों के नाम व पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
9. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।
11. नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
12. फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
13. फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगायेगा।
14. अकादमी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
15. फर्म द्वारा नियोजित किये गए श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का दायित्व होगा। सम्बन्धित कानून की जानकारी न होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
16. अकादमी परिसर में एकत्रित कुड़े/मलवे का निस्तारण नियत स्थान पर निविदादाता फर्म को स्वयं करना होगा।
17. श्रमिक/श्रमिकों की कार्य से अनुपस्थिति रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य को फर्म द्वारा नियोजित किया जाएगा। फर्म द्वारा ऐसा न करने पर श्रमिक/श्रमिकों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जायेगा तथा फर्म पर शास्ति स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी।
18. निविदादाता फर्म को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि प्रशासनिक भवन एवं क्लास रूमों की सफाई प्रातः 9:15 बजे तक हो जाए।
19. निविदा से स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए प्रभावी होंगी।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल।  
साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 500 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु  
प्रपत्र संख्या.....  
कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम.....
2. फर्म के स्वामी का नाम:.....
3. फर्म का स्थानीय पता.....  
(दूरभाष संख्या सहित).....
4. फर्म का स्थाई पता.....
5. व्यापार कर.....  
पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण-पत्र.....
6. सेवा कर का प्रमाण-पत्र.....  
यदि आवश्यक हो तो
7. धरोहर धनराशि का विवरण  
(अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....  
(ब) एफ0डी0आर0 संख्या.....  
(स) धनराशि.....
8. साफ-सफाई कार्य हेतु श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अंकित की जाय  
.....
9. बागवानी कार्य हेतु दक्ष मालीयों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह  
पृथक-पृथक अंकित की जाय.....
8. अन्य प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हैं.....

संलग्न- 1- नियम एवं शर्तें

निविदादाता फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर